बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांकः 128/भण्डार/2020 भोपाल, दिनांकः 29-9-2020

2ND Expression of Interest for Chartered Accountant Firms- 2020

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मो से लेखा कार्य हेतु द्वितीय EOI - 2020

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के बैंक खातों का बैंक रिकन्सिलेशन, बेलेन्सशीट तैयार करने, सभी प्रकार के टैक्स संबंधी एवं अन्य विश्वविद्यालय से संबंधित लेखा कार्य संपादित करने एवं परामर्श हेतु प्रतिष्ठित चार्टेड अकान्टेन्ट फर्मो से द्वितीय **Expression of Interest – 2020** आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म जो इस द्वितीय **Expression of Interest – 2020** में भाग लेना चाहते है वे वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** लॉग आन कर फार्म डाउनलोड कर भाग ले सकते है। फर्मो द्वारा **Expression of Interest** वेबसाईट **https://mptenders.gov.in** आन लाईन प्रस्तुत करने पर ही मान्य की जावेगी। इस **EOI** को हार्डकापी को विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

इस **Expression of Interest – 2020** की शर्ते, प्रक्रिया एवं प्रपत्र बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल की वेबसाईट www.bubhopal.ac.in पर भी उपलब्ध है।

इस **Expression of Interest – 2020** का मूल्य रूपये 5000/– जो कि वापसी योग्य नहीं है। सुरक्षा निधि राशि रूपये 1,00,000–00 है। इसे आन लाईन जमा किया जाना है।

इस **Expression of Interest – 2020** में किसी संशोधन की स्थिति में उपरोक्त दोनों बेब साईट पर ही संशोधन प्रकाशित किया जावेगा। संशोधनों का समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा।

इस **EOI** को जमा तथा खोलने का विवरण निम्नांकित है:–

Sr. No	Description	Date	Time
01	EOI Published date	29-9-2020	EOI आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	EOI Document Download/Sale Start date	29-9-2020	
03	EOI Submission start date	29-9-2020	
04	EOI Download/Sale End Date	13-10-2020	
05	EOI Submission End Date	13-10-2020	
06	EOI Opening Date	14-10-2020	

प्रथम **Expression of Interest – 2020** कमांकः 106 /भण्डार/ 2020 दिनांकः 10–07–2020 में तकनीकी रूप से पात्र फर्मो को पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

कुलसचिव

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

2ND EOI for CA Firms- 2020

भाग–1

आवेदन की प्रक्रिया एवं सामान्य जानकारी

परिचय :–

भोपाल विश्वविद्यालय, भोपाल की स्थापना वर्ष 1970 में की गयी थी। बाद में इसे महान स्वतंत्रता सेनानी प्रो. बरकतउल्ला के नाम से बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल स्थापित किया गया।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-12) जयपुर जबलपुर पर स्थिति है। इसका क्षेत्रफल 350 एकड़ है। यह हबीबगंज रेल्वेस्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है। विश्वविद्यालय परिसर में मुख्यतः सत्यभवन है जिसमें प्रशासकीय कार्य कलाप होते है। इसके साथ ही मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा संस्थान, एन.एस.एस., एक्वाकल्चर विभाग, शारीरिक शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय मुद्रणालय, बी.एड. विभाग, माईक्रोबायलॉजी विभाग, अर्थ साइन्स विभाग, भौतिकी एवं इलैक्ट्रानिक्स विभाग, यूसिक, बायोसाइन्स विभाग, जेनेटिक्स विभाग, बायो केमेस्ट्री विभाग, पर्यावरण विभाग, बायोटेक्नोलॉजी विभाग, फार्मेसी विभाग, महिला अध्ययन विभाग, इन्जिनियंरिंग कालेज, भाषा विभाग, कामर्स विभाग, मनोविज्ञान विभाग, रिजनल प्लानिंग एवं इकोनामिक्स ग्रोथ विभाग, समाजशास्त्र विभाग, विधि विभाग, एम.बी.ए. विभाग तथा छः छात्रावास, अतिथि गृह, शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी आवासगृह, डाकघर एवं भारतीय स्टेट बैंक स्थिति है।

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक विभागों में यू.जी.सी. एवं विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त अनुदान से अनुसंधान कार्य किया जाता है।

सत्य भवन में मुख्य प्रशासकीय विभाग स्थित है, जैसेः– प्रशाशन विभाग, लेखा विभाग, विकास विभाग, अकादमी विभाग, भण्डार विभाग, यांत्रिकी विभाग, परीक्षा विभाग, गोपनीय विभाग, छात्र कल्याण विभाग, कुलपति कार्यालय एवं कुलसचिव कार्यालय आदि है।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के क्षेत्राधिकारी 7 जिलो में फैला हुआ है जिसमें भोपाल, सिहोर, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा एवं राजगढ़ है। इन जिलो में शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों की कुल संख्या लगभग 400 है।

EOI का उद्देश्य :–

Expression of Interest – 2020 का मुख्य उद्देश्य बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के लेखा कार्य, भण्डार एवं सम्पत्ति का कम्प्यूटराईज्ड अभिलेख तैयार किया जाना, बेलेन्सशीट तैयार करना, बैंक खातों का रिकन्सिलेशन कार्य, विश्वविद्यालय के आयकर सम्बन्धी मामलों का निष्पादन करना, करो के संबंध में परामर्श तथा महाविद्यालय एवं छात्रों से प्राप्त होने वाली फीस का कम्प्यूटराईजेशन किया जाना है। जिससे विश्वविद्यालय का आय–व्यय लेखा एवं बजट शीघ्र ही तैयार किया जा सकें। कार्य का विस्तृत विवरण **EOI** के भाग–4 में दिया गया है। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मो से अपेक्षा है कि **EOI** प्रस्तुत करने के पूर्व विश्वविद्यालय के लेखा कार्य को सहायक कुलसचिव (लेखा)/वित्त नियंत्रक से सम्पर्क कर ठीक से समझ ले।

EOI का क्रय एवं सुरक्षा निधि :–

Expression of Interest – 2020 के फार्म का मूल्य रूपये 5000/– जो कि वापसी योग्य नहीं है तथा सुरक्षा निधि राशि रूपये 1,00,000–00 है। इन्हें आन लाईन जमा किया जाना है।

EOI प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :– **Expression of Interest – 2020** की शर्ते तथा पात्रता बेब साईट **https://www.mptenders.gov.in** पर उपलब्ध है। यह **EOI** ऑन लाईन प्रस्तुत करने पर ही मान्य की जावेगी। यह **EOI** विश्वविद्यालय की वेब साईट **www.bubhopal.ac.in** पर भी अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इस **EOI** में संशोधन की स्थिति में उक्त दोनों वेब साईट पर संशोधन प्रकाशित किया जावेगा। संशोधन को समाचार पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा। इस **EOI** को हार्डकापी में विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इस **EOI** को जमा तथा खोलने का विवरण निम्नांकित हैः–

अनुभाग अधिकारी (लेखा)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

Sr. No	Description	Date	Time
01	EOI Published date	29-9-2020	EOI आन लाईन प्रस्तुत करने तथा खोलने का समय वेबसाईट https://mptenders.gov.in पर दर्शित है।
02	EOI Document Download/Sale Start date	29-9-2020	
03	EOI Submission start date	29-9-2020	
04	EOI Download/Sale End Date	13-10-2020	
05	EOI Submission End Date	13-10-2020	
06	EOI Opening Date	14-10-2020	

यदि अपरिहार्य कारणों से EOI निर्धारित तिथि पर नहीं खुल सका तो यह EOI आगामी कार्य दिवस में दोपहर 3–30 बजे खोला जाएगा।

<u>EOI की चयन पद्धतिः–</u>

प्रक्रिया–1 :– सर्वप्रथम चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मो द्वारा ऑन लाईन फार्म फीस तथा सुरक्षा निधि राशि जमा देखी जावेगी। इसमें सफल फर्मो को प्रक्रिया–2 के लिए मान्य किया जावेगा।

प्रक्रिया–2 :– चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्मो द्वारा प्रस्तुत EOI का तकनीकी मूल्यांकन किया जावेगा।

प्रक्रिया–3 :– तकनीकी रूप से सफल फर्मो से वित्तीय निविदा मांगी जावेगी। यह वित्तीय निविदा ऑन लाईन/आफ लाईन जेसी भी स्थिति हो विश्वविद्यालय द्वारा मांगी जावेगी। वित्तीय निविदा का प्रारूप निविदा में दर्शित है।

प्रक्रिया–4 :– तकनीकी रूप से योग्य फर्मो द्वारा प्रस्तुत वित्तिय निविदा में से न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली फर्म का चयन किया जावेगा।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

EOI for CA Firms- 2020

भाग–2

आवश्यक अर्हताएं

निम्नांकित दस्तावेज पर फर्म के अधिकृत व्यक्ति के सील सहित हस्ताक्षर कर अपलोड किए जाने चाहिए। दस्तावेज की स्केन प्रति स्पष्ट एवं पढ़ने योग्य होना चाहिए। इसके अभाव में फर्म द्वारा प्रस्तुत EOI निरस्त किया जावेगा

(1) फार्म क्रय रूपये 5000/– एवं सुरक्षा निधि रूपये 1,00,000/– लाख ऑन लाईन जमा की रसीद की फोटोप्रति संलग्न करें।

(2) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को निविदा जारी होने की तिथि से विगत 25 वर्षो या उससे अधिक समय तक कार्यरत होना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन नम्बर ICAI record के अनुसार संलग्न करें।

(3) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को निविदा जारी होने की तिथि को आडिटर के रूप में C & AG से empanelled होना चाहिए।

(4) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के पास निविदा जारी होने की तिथि को ICAI record अनुसार कम से कम 15 सदस्यों की टीम होना चाहिए, जिसमें CA, ACA, FCA and articles होना चाहिए। उसकी सूची भी संलग्न करें। जिसमें उनके नाम, ई–मेल तथा मोबाईल नम्बर भी दर्शित हो।

(5) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के पास ICAI record अनुसार EOI जारी होने की तिथि को कम से कम 5 कार्यरत अतिरिक्त पार्टनर जिसमें DISA से डिप्लोमा तथा FCA सम्मिलित हो, होना चाहिए। उसकी सूची भी संलग्न करें। जिसमें उनके नाम, ई–मेल तथा मोबाईल नम्बर भी दर्शित हो।

(6) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के पास विगत तीन वित्तीय वर्ष (2019–20, 2018–19, 2017–18) में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 50–00 लाख का टर्न ओवर होना चाहिए।

(7) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म का अधिकृत कार्यालय ICAI के प्रमाण पत्र अनुसार भोपाल में होना चाहिए।

(8) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के पास विगत तीन वित्तीय वर्ष (2019–20, 2018–19, 2017–18) का concurrent audit. का अनुभव होना चाहिए।

(9) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के पास विगत वर्षो में कम से कम 5 शासकीय/अर्द्धशासकीय/विश्वविद्यालय/बैंक का लेखा कार्य/आडिट का अनुभव होना चाहिए।

(10) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म किसी शासकीय/अर्द्धशासकीय/विश्वविद्यालय/संस्था से ब्लेक लिस्ट नहीं होना चाहिए। चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के विरूद्ध ICAI द्वारा कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होना पायी जाना चाहिए। इस संबंध में रूपये 100–00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करे।

(11) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म का GST नम्बर संलग्न करना आवश्यक है।

(12) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म का PAN CARD संलग्न करना आवश्यक है।

(13) यदि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के पास किसी विश्वविद्यालय/संस्था का Revenue Leakage का प्रमाण हो तो संलग्न करें।

(14) प्रपत्र–1

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

प्रति, प्रपत्र–1

कुलसचिव,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

विषयः– **EOI for CA Firms- 2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयानतर्गत् निवेदन है कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा जारी **EOI for CA Firms- 2020** में चाही गयी जानकारी एवं घोषणा पत्र निम्नानुसार हैः–

सं.क्रं.	विवरण	
01	चार्टर्ड अकाउन्टेनट फर्म का नाम	
02	फर्म के प्रतिनिधि का नाम	
02	कार्यालयीन पंजीकृत पता (As per ICAI record)	
03	दूरभाष नम्बर	
05	मोबाईल नम्बर	
06	ई–मेल आई.डी.	

घोषणा पत्र

मेरे /हमारी फर्म द्वारा **Expression of Interest – 2020** में दिए गए सभी नियम / शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं **Expression of Interest – 2020** की शर्तों के अधीन बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल में चार्टर्ड अकाउउन्टेन्ट संबंधी का कार्य करने हेतु अपनी सहमति प्रदान करते हैं। हमारी फर्म द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है तथा प्रस्तुत जानकारी गलत नहीं है। यदि भविष्य मे कोई जानकारी गलत पायी जाती है तो विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह फर्म द्वारा जमा सुरक्षा निधि एवं निष्पादन प्रतिभूति जब्त करते हुए फर्म के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर सकेगा।

फर्म के अधिकृत हस्ताक्षर सील सहित

अनुभाग अधिकारी (...)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

EOI for CA Firms- 2020

भाग–3

अन्य शर्ते

(1) **EOI** मे सफल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के साथ एक सप्ताह में अनुबन्ध संपादित करना होगा। यह अनुबन्ध एक वर्ष के लिए किया जावेगा। विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सूचना सफल फर्म को डाक/ईमेल से दी जावेगी।

(2) **EOI** मे सफल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म की कार्य कुशलता को देखते हुए अनुबन्ध में 1 वर्ष की वृद्धि (एक वर्ष में एक बार) की जा सकती है, जो कि अधिकतम तीन वर्ष के लिए होगी।

(3) **EOI** मे सफल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को कुल कार्य की 5 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति अनुबन्ध के समय एफ.डी.आर. के रूप में कुलसचिव, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के नाम से जमा करनी होगी। इस एफ.डी.आर. पर प्राप्त होने वाला ब्याज फर्म को देय होगा। यह निष्पादन प्रतिभूति सुरक्षा निधि के अतिरिक्त होगी।

(4) स्वीकृत/अस्वीकृत निविदा के साथ जमा की गई सुरक्षा राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

(5) जो निविदा मान्य नहीं होगी उनकी सुरक्षा निधि लौटा दी जावेगी।

(6) यदि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म समायावधि में अनुबन्ध करने में असमर्थता व्यक्त करती है अथवा अनुबन्ध के बाद कार्य प्रारम्भ नहीं करती है तो फर्म द्वारा जमा सुरक्षा निधि तथा निष्पादन प्रतिभूति दोनों जब्त कर ली जावेगी।

(7) अनुबन्ध की तारीख से चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को 7 दिवस में कार्य प्रारम्भ करना होगा।

(8) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल को यह अधिकार होगा कि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा सौपें गए कार्य को ठीक से न करने पर अनुबन्ध को किसी भी समय निरस्त कर सकता है।

(9) **Joint Ventures** को **EOI** में भाग लेने का अधिकार नही होगा। एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा एक ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना होगा। यदि एक से अधिक प्रस्ताव होना पाया जाता है कि उस फर्म को अयोग्य घोषित किया जावेगा।

(10) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को अधिकार होगा कि वह किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दे। इस संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(11) EOI में सफल चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय परिसर में ही कार्य करना होगा। किसी भी रूप में कोई भी दस्तावेज किसी भी कारण से विश्वविद्यालय परिसर से बाहर नहीं ले जाया जावेगा। विश्वविद्यालय के दस्तावेजों एवं अन्य जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना होगा तथा कोई भी जानकारी अनाधिकृत व्यक्ति को बताना वर्जित है।

(12) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को वित्तीय संहिता, भण्डार क्रय नियम, विश्वविद्यालय एवं अन्य शासकीय नियमों के अन्तर्गत् विश्वविद्यालय के लेखा कार्य में दक्षता लाने के लिए परामर्श दे सकेगी।

(13) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को आंतरिक लेखा कार्य की त्रैमासिक रिपोर्ट आगामी 15 दिवस में प्रस्तुत की जावेगी।

(14) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को निर्धारित समय में लागू टैक्स जमा करने संबंधी कार्य पूर्ण करना होगा।

(15) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को अन्य सभी आवश्यक कार्य/रिपोर्ट अनुबन्ध के तीन माह के भीतर करना होगा।

(16) यदि चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म अनुबन्ध की शर्तो अनुसार समयावधि में कार्य सम्पन्न नही कर पाती है अथवा फर्म के कर्मियों द्वारा घोर लापरवाही, अनियमितता, कार्य में ढिलाई या कदाचार या धोखधड़ी का दोषी पाया जाता है तो ICAI को सूचित किया जावेगा तथा सी.ए. फर्म द्वारा जमा सुरक्षा निधि एवं परफारमेन्स गारन्टी जब्त की जा सकेगी। साथ ही फर्म को देय भुगतान से कटौति का अधिकार बरकतउल्ला विश्वविद्यालय को होगा।

(17) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा अनुबन्ध की शर्तो अनुसार किए जाने वाले कार्य की समीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी। इस समीक्षा में फर्म के प्रमुख अधिकारी को उपस्थित होना आवश्यक है।

अनुभाग अधिकारी (लेखा)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

(18) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट दोनों पक्षों में से यदि कोई भी पक्ष अनुबन्ध समाप्त करना चाहता है तो उसे न्यूनतम 03 माह की पूर्व सूचना देना आवश्यक हैं। आपात स्थिति में विश्वविद्यालय के पास कभी भी अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

(19) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को प्रत्येक कार्य के अंत में बिल के साथ कार्य संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा।

(20) विश्वविद्यालय द्वारा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को किए जाने वाले भुगतान से नियमानुसार करो की कटौति/भुगतान किया जावेगा।

(21) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के अधिकारियों को स्वयं नियमित रूप से विश्वविद्यालय का दौरा करना आवश्यक है।

(22) विवाद की स्थिति में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।

(23) न्यायालय विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार भोपाल न्यायालय होगा।

(24) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा EOI में प्रस्तुत मूल दस्तावेजो का अवलोकन विश्वविद्यालय द्वारा मांगे पर फर्म को प्रस्तुत करना होगा। इन दस्तावेजों का संबंधित विभाग से आवश्यकता होने पर सत्यापन कराया जा सकेगा दस्तावेजों में कोई विसंगति पाये जाने पर विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा एवं सुरक्षा निधि राजसात की जा सकती है।

(25) EOI में सफल फर्म किसी अन्य फर्म से कार्य नहीं करायगी।

(26) EOI को बिना कारण बताये निरस्त करने की शक्ति विश्वविद्यालय को होगी। निविदाकार तथा विश्वविद्यालय के मध्य कोई विवाद अथवा भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने पर कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल का निर्णय अंतिम होगा जो दोनो पक्षों का मान्य होगा।

(27) निविदा प्रक्रिया के संबंध में किसी भी प्रकार की व्याख्या (Interpretation) का प्रश्न उपस्थित होने पर कुलपति बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा।

(28) निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत की गई वित्तीय दर समान होने पर समिति स्वविवेक से पैरामीटर / प्रक्रिया निर्धारित कर सफल निविदाकर्ता के निर्धारण हेतु निर्णय लेने के लिए अधिकृत होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगी।

(29) EOI खोलते समय चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

(30) EOI में सफल फर्म को अभिलेखों के कम्प्यूटराईजेशन का डाटा साफ्ट कापी में चाहे गये फारमेट में विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा। इस पर विश्वविद्यालय का एकाधिकार रहेगा।

(31) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म के कर्मचारियों को कार्य हेतु स्थान, आवश्यक साफ्टवेयर, बिजली, कम्प्यूटर, मल्टीफंक्शन, स्टेशनरी आदि विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। इन सामग्रीयों पर विश्वविद्यालय का एकाधिकार रहेगा।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

EOI for CA Firms- 2020

भाग–4

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण

(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक माह का बजट शीर्ष अनुसार मासिक आय–व्यय लेखा तैयार करना। इसकी सहायता से वास्ततिक आय–व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना।

(2) विश्वविद्यालय की बेलेन्सशीट तैयार करना। वर्ष 01–04–2020 EOI समाप्त होने तक।

(3) विश्वविद्यालय के निम्नांकित बैंक खातों का बैंक रिकन्सिलेशन कार्य करनाः–

सं. क्रं.	बैंक का नाम	खाते का प्रकार	बैंक खाता नम्बर	बैंक खाते की रिकन्सिलेशन की अवधि वर्ष से	तक	टीप
01	भारतीय स्टेट बैंक	सामान्य मद	10020000105	01–04–2020	अनुबन्ध समाप्ति तक	
02	भारतीय स्टेट बैंक	विकास मद	10020001891	01–04–2020	अनुबन्ध समाप्ति तक	
03	भारतीय स्टेट बैंक	परियोजना मद	10020000127	01–04–2020	अनुबन्ध समाप्ति तक	
04	भारतीय स्टेट बैंक	डी.बी.टी.	34143196236	01–04–2020	अनुबन्ध समाप्ति तक	
05	भारतीय स्टेट बैंक	एन.एस.एस.	10020001212	01–04–2020	अनुबन्ध समाप्ति तक	
06	भारतीय स्टेट बैंक	शिक्षक कल्याण निधि	34466229937	01–04–2020	अनुबन्ध समाप्ति तक	
07	भारतीय स्टेट बैंक	इण्डोमेन्ट	34430489362	01–04–2020	अनुबन्ध समाप्ति तक	
08	पंजाब नेशनल बैंक		540021000677708	01–04–2020	अनुबन्ध समाप्ति तक	

(4) विश्वविद्यालय के अग्रिम एवं समायोजन रजिस्टर का कम्प्यूटराईजेशन करना। अग्रिम एवं समायोजन की जानकारी अद्यतन रखना।

(5) विश्वविद्यालय के शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के सी.पी.एफ. खातों का कम्प्यूटराईजेशन करना। ब्याज की गणना करते हुए खातों में प्रविष्टि करना। इनका बैंक रिकन्सिलेशन कार्य करना तथा पासबुक इश्यू करना।

(6) विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा के स्थाई स्टाक पंजी का कम्प्यूटराईजेशन करना। वर्ष 01–04–2010 से EOI. का अनुबन्ध समाप्त होने तक ।

(7) विश्वविद्यालय द्वारा फर्मो के देयक, विश्वविद्यालय के शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारियों के वेतन से आयकर एवं अन्य टैक्स की कटौति को समयावधि में आयकर/संबंधित विभाग में जमा करना।

(8) विश्वविद्यालय द्वारा फर्मो के देयक से जी.एस.टी. की कटौति को समयावधि में जमा करना।

(9) आयकर कटौति संबंधी संबंधित फार्म, विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों को जारी करना।

(10) विश्वविद्यालय को मितव्ययिता हेतु परामर्श देना।

(11) विश्वविद्यालय को विभिन्न विभागों से लगने वाली पेनल्टी/दण्ड को बचाना तथा विभागों द्वारा पेनल्टी/दण्ड की राशि को वसूली का प्रयास करना।

(12) विश्वविद्यालय के लेखा शाखा, भण्डार शाखा एवं आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के कर्मचारियों को अभिलेखों के कम्प्यूटराईजेशन (टेली साफ्टवेयर में) करने हेतु ट्रेनिंग/सहायता करना।

(13) विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति एवं स्थाई प्रकार की सामग्री/उपकरणों का भौतिक सत्यापन करना।

(14) ई.पी.एफ./ई.एस.आई. के खातों का प्रारंभ सै रिकन्सिलेशन कार्य करना।

(15) उक्त कार्यो के अतिरिक्त विश्वविद्यालय के मा. कुलपति/कुलसचिव द्वारा बताए गए अन्य कार्य।

अनुभाग अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

वित्तीय निविदा का प्रारूप जो तकनीकी रूप से योग्य फर्मो से आन लाईन/आफ लाईन मांगा जावेगा।

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

EOI for CA Firms- 2020

भाग–5

वित्तीय निविदा

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म का नाम	
EOI for CA Firms- 2020 के भाग–4 में दर्शित कार्य का पारिश्रमिक प्रतिवर्ष रूपये में	
कर का नाम एवं दर	
कर का नाम एवं दर	

उपभोक्ता अधिकारी (भण्डार)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल